(112)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–594–तीन/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–01–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–249/निग0/06–07

....

1–बृजमान सिंह तनय श्री रामसेवक सिंह,
2–फूलमती पत्नी श्री रामसेवक सिंह,
3–शिवदयाल सिंह,
4–अभिमान सिंह,
5–इन्द्रभान सिंह, पुत्रगण रामसेवक सिंह,
6–तिलकधारी सिंह तनय रामसजीवन सिंह,
7–राजेन्द्र सिंह तनय रामसजीवन सिंह
8–अशोक सिंह तनय श्री राजरथ सिंह
9–रज्जी बेबा राजरथ सिंह
सभी निवासी ग्राम छिरहटा तहसील–सिरमौर, जिला–रीवा म0प्र0

––––––आवेदकगण

विरूद्ध

1–लालबहादुर सिंह तनय रामसिया सिंह
2–समसेर सिंह तनय श्री रामसेवक सिंह (मृतक) विधिक वारिसान–
1. श्रीमती कृष्णा सिंह बेवा स्व0 समसेर सिंह
2. शैलेश सिंह पुत्र समसेर सिंह
3–आनन्द सिंह तनय श्री राजरथ सिंह
4–मनोज सिंह तनय श्री राजरथ सिंह,
5–सुशीला बाई पति श्री रामटहल सिंह,
6–धिवेन्द्र सिंह तनय श्री रामटहल सिंह,
7–यादवेन्द सिंह तनय श्री रामटहल सिंह,
8– रावेन्द्र सिंह तनय श्री रामटहल सिंह,
9– कौशल सिंह तनय श्री रामप्यारे सिंह,
10–रामविश्वास सिंह तनय रामदेव सिंह,
11–सौखीलाल सिंह तनय रामदेव सिंह,
12–रामफल सिंह तनय कोदू सिंह
13–रामनरेश सिंह तनय कोदू सिंह,
14–उदयमान सिंह तनय कोदू सिंह,
समस्त निवासी ग्राम छिरहटा, तहसील–सिरमौर, जिला रीवा ।

––––––अनावेदकगण

....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, एवं श्री कुवंर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29-6-16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 249/निग0/06–07 पारित आदेश दिनांक 17–01–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है कि ग्राम छिरहटा की विवादित भूमि कुल किता 17 रकबा 19.47 एकड़ के भूमि स्वामी मुस0 फूलमती पत्नी रामसेवक आदि है । जिसमें गैर निगरानीकर्ता सह भूमि स्वामी नहीं है। आवेदक द्वारा भूमियों के बंटवारे हेतु अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 89/अ–27/2000–01 पर दर्ज किया जाकर, दिनांक 27.03.2002 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम निराकरण हेतु अनावेदक को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया गया। अधीनस्थ के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी पेश की, जो प्रकरण क्रमांक 139/अ–27/2001–02 पंजीबद्ध किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर दिनांक 23.11.2006 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया । उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के यहाँ निगरानी प्रस्तुत की गई । प्रकरण क्रमांक 249/निग0/2006–07 में पंजीबद्ध होकर दिनांक 17.01.07 को अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर दी गई । इसी आदेश दिनांक 17.01.07 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये गये, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया है कि संहिता की धारा 178 के बने नियमों के अनुसार सहभूमिस्वामी ही

बंटवारा करा सकता है । अनावेदक जब सहभूमिस्वामी ही नहीं है तो प्रारंभिक आपत्ति का आवेदन अमान्य होगा, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं किया । प्रकरण क्रमांक 83/अ-27/2000-01 एवं 86/अ-27/2000-01 की भी निगरानी एक ही बिन्दु जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत 1994 रेवन्यू निर्णय 322 के सिद्धांत को मानते हुये एक पुनरीक्षण मानकर व एक ही तरह का अन्तिरिम आदेश होने से चलने योग्य नहीं माना है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4- अनावेदक के अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर निर्णय करने का निवेदन किया गया ।

5- उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा तर्क सुने गये एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम छिरहटदा की प्रश्नाधीन भूमियां कुल 17 किता कुल रकबा 7.880 है0 के बंटवारा हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में यह उल्लिखित किया गया है कि अनावेदक अनावश्यक रूप से प्रकर को विलम्बित रखने के लिए बार-बार आवेदन पेश कर रहा है। अतः साक्ष्य पूर्ण होने के बाद ही प्रकरण में कोई भी स्पष्ट निर्णय लिया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त बिन्दु उचित प्रतीत होता है । क्योंकि प्रकरण में निरन्तर आवेदन प्रस्तुत होते रहने से प्रकरण अनावश्यक लंबित होता है । साक्ष्य पश्चात् सभी आवेदन का निराकरण किया जा सकता है । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण का साक्ष्य हेतु नियत कर कोई त्रुटि नहीं की गई है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2006 को यथास्थिति का आदेश पारित किया है जो उभयपक्षों को समान लागू होता है । निगरानीकर्ता ने इस न्यायालय में ऐसे कोई तथ्य नहीं बताये है जिससे उन्हें विचारण न्यायालय के द्वारा पारित यथास्थिति के आदेश से अपूर्तिनीय क्षति हो रही है । न्यायालय का उद्देश्य यह होता है कि मुकदमेबाजी कम करें और यही मानकर विचारण न्यायालय ने यथास्थिति का आदेश पारित किया है जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने भी की है । अतः निगरानी बलहीन होने से खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर